

नामान्तरण आवेदन प्रपत्र

(नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 213 के अन्तर्गत नामान्तरण हेतु वांछित सूचना)

- आवेदक का नाम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 - आवेदक का पता
 - सम्पत्ति जिसका नामान्तरण वांछित है, का नाम पता
 - सम्पत्ति जिसका नामान्तरण वांछित है, का विवरण
भूखण्ड का क्षेत्रफल
 - आन्तरिक क्षेत्रफल (**Carpet area**)
 - नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति से सम्बन्धित यदि किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित हो तो सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए उसका विवरण दें
 - नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति पर या उसके किसी भाग पर राज्य / केन्द्र सरकार का किसी प्रकार का अधिग्रहण हो तो उसका विवरण दें

7. नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति का प्रयोग - आवासीय है ()
 - अनावासीय है ()
 - आवासीय एवं अनावासीय दोनों ()

8. निम्नलिखित बिन्दु (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) में से जिस बिन्दु के आधार पर नामान्तरण वांछित हो उसके अन्तर्गत वांछित विवरण भरें, शेष के समक्ष लागू नहीं लिखें

(1) विक्रय पत्र / दान पत्र / पट्टा विलेख-.....

(क) विक्रय पत्र/दान पत्र / पट्टा

नाम..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....पता.....

{यदि विक्रेता / दानकर्ता/पट्टाकर्ता का नाम निगम अभिलेखों में नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो निगम अभिलेख में सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज व्यक्ति से आवेदित सम्पत्ति के विक्रेता /दानकर्ता/पट्टाकर्ता को प्राप्त विक्रय/दान/पट्टा करने के अधिकार से सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।}

(ख) उस व्यक्ति संस्था का विवरण जिसके पक्ष में विक्रय / दान / पटुठा / सम्पादित किया गया है।

नाम..... पुत्र/पुत्री/पली श्री पता.....

(ग) विक्रय पत्र / दानपत्र / पट्टा विलेख की पंजीकरण सं 0 दि 0

(घ) सम्पत्ति का विक्रय मूल्य रु०

(ii) वर्तमान सम्पत्ति स्वामी की मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकार के आधार पर :-

(क) क्या मृतक / मृतक का नाम निगम अभिलेखों के रूप में सम्पत्ति स्वामी के रूप में

{यदि नहीं तो मृतक/मृतका की जिन आधारों पर आवेदित का स्वामित्व अधिकार प्राप्त हुआ हो उससे

(रब) सम्पत्ति चिनके नाम स्वामी के रूप में नामान्तरित की जानी है उनका विवरण

(ख) सम्बोधिता जिनके नाम स्पाना कर सकते हैं वह उनका विवरण

नाम मूतक/मूतका संस्करण क्रम

.....

.....
.....
.....

(ग) उपरोक्त वर्णित नाम/नार्मा के अतिरिक्त मतक/मतका का यदि कोई अन्य वैद्य

2, 1923. — The author wishes to thank Mr. W. H. Dall, Director of the U. S. Fish Commission Laboratory, for his kind permission to publish this paper.

नाम मुतक/मृतका से सम्बन्ध पता

(iii) वसीयतः के आधार पर-

(घ) वसीयत यदि पंजीकरण हो तो पंजीकरण सं० दिनांक

- (च) क्या उपरोक्त वार्णित वसीयत /हिंबेनामा मृतक / मृतका की अन्तिम वसीयत/हिंबेनामा है? हाँ/नहीं
- (छ) क्या सम्पत्ति हिन्दु अविभाजित परिवार (HUF) सम्बन्धित है यदि हाँ तो निम्न का विवरण दें। कर्ता का नाम
मृतक / मृतका से सम्बन्ध पता
- (उस प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न करें जिसके द्वारा उपरोक्त को कर्ता नियुक्त किया गया हो अन्यथा शपथ पत्र पर कर्ता नियुक्त किये जाने का उल्लेख करते हुए परिवार के सभी सदस्यों की अनापत्ति दें।
- (ज) यदि कोई अन्य विवरण हो तो उसका उल्लेख करें

नोट :- बिन्दु (ii) के अन्तर्गत दी गई समस्त जानकारी को निर्धारित स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र के रूप में भी दें।
(iv) पारिवारिक बंटवारे के आधार पर

(क) पारिवारिक बंटवारा	सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत है	()
	अनुबन्ध के रूप में पजीकृत	()

(जो लागू हो उसके समक्ष / निशान लगायें शेष के समक्ष X निशान लगायें।)

- {नोट: बंटवारे से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रति भी संलग्न करें।
(ख) बंटवारे के अनुसार जिनके पक्ष में स्वामी के रूप में नामान्तरण होना है उनका विवरण

नाम पिता/पति का नाम पता

- (ग) बिन्दु (ख) के अन्तर्गत दिये गये नामों के अतिरिक्त नामान्तरण हेतु आवेदित की गई सम्पत्ति का यदि कोई अन्य वैद्य वारिस हो तो उनका विवरण दें।

नाम पिता/पति का नाम पता

(उपरोक्त की अनापत्ति भी संलग्न करें)

(घ) (बंटवारे के गवाहों का विवरण दें)

नाम पिता/पति का नाम पता

(IV) न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर

- (क) आदेश किस न्यायालय द्वारा किया गया है
- (ख) आदेश का दिनांक

(आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(ग) उपरोक्त आदेश के विरुद्ध यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो विवरण आदेश के दिनांक सहित दें.....

(घ) न्यायालय आदेशानुसार जिनका नाम निगम अभिलेखों में सम्पत्ति स्वामी / किरायेदार/कब्जेदार के रूप में दर्ज किया जाना उसका विवरण दें।

नाम पिता/पति का नाम पता

(V) नीलामी के आधार पर

(क) उस व्यक्ति/संस्था विभाग का विवरण दें जिसकी सम्पत्ति देनदार होने के कारण नीलम करायी गयी।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
1.		
2.		
3.		

(ख) उस व्यक्ति / संस्था / विभाग का विवरण दें जिसको सम्पत्ति नीलामी की गयी।

नाम	पिता/पति का नाम	पता
-----	-----------------	-----

(यदि उपरोक्त का नाम निगम अभिलेखों में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो निगम अभिलेखों में नामान्तरण हेतु आवेदित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में वर्तमान में दर्ज स्वामी से बिन्दु (क) में वर्णित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

(घ) नीलामी किसी प्राधिकरण द्वारा सत्यापित करवायी गयी नीलामी का दिनांक

(नीलामी सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

(ङ) क्या नीलामी में प्राप्त सम्पत्ति को सक्षम प्राधिकरण से पंजीकरण करवा लिया गया है। विवरण दें।

प्राधिकरण का नाम

पंजीकरण संख्या

पंजीकरण का दिनांक

(च) यदि उपरोक्त नीलामी के विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसका विवरण स्थगनादेश के दिनांक सहित विवरण दें।

(सम्बन्धित समस्त स्थगनादेश के दिनांक सहित विवरण दें।

(VI) सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने के आधार पर

(क) वर्तमान सम्पत्ति स्वामी का विवरण जिससे सरकार द्वारा सम्पत्ति अधिग्रहित की गई।

नाम

पिता/पति का नाम

पता

(यदि उपरोक्त का नाम निगम अभिलेखों में वर्णित सम्पत्ति के स्वामी के रूप में दर्ज न हो तो नामान्तरण हेतु आवेदित की गई सम्पत्ति के स्वामी के रूप में नगर निगम अभिलेखों में दर्ज व्यक्ति से बिन्दु (क) में वर्णित व्यक्ति को प्राप्त स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी यह
घोषणा करता/करती हूँ कि प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य / सूचना मेरी जानकारी एवं दस्तावेजों के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना/तथ्यों में किसी प्रकार के असत्यता पायी जाये तो नगर निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वे एकपक्षीय रूप से उपरोक्त सूचना / तथ्यों के आधार किये गये नामान्तरण को निरस्त कर दें।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान

अथवा

संलग्नकों का विवरण

बायें हाथ के अंगूठे का

निशान

दूरभाष संख्या

Email

आवेदन के साथ संलग्नक:-

- (1) हस्तान्तरण का अधार अभिलेख (विक्रय पत्र/दान पत्र/ पटा विलेख/वसीयत/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र)
- (2) शपथ पत्र :-
- (3) प्रकाशन शुल्क :-(₹) 150
- (4) वर्तमान समय के भवनकर के बिल / रसीद की छायाप्रति।
- (5) विलम्ब शुल्क प्रमाण पत्र निर्गत करने से पुर्व जमा करना होगा।